

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(धारा 21 मय 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पूगल
बईजलास श्री राजेश कुमार नायक

मोहम्मद बिसारत पुत्र हाजी मुबारक, जाति मुसलमान --बनाम-- स्टेट

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा नं. 71 सन् 2015

यह मुकदमा आज वादी इनफिसाल कराई रूबरू हमारे व हाजरी श्री फूमन सिंह, वकील वादी मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज राज्य की और से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि कि ग्राम सूरसर तहसील पूगल के खसरा नंबर 93 तादादी 75.00 बीघा का वादी खातेदार काश्तकार है, जिसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार पूगल दुरस्ती के जरिये वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।।

नीज --- मुकलिक --- बाबत --- खर्चा इस मुकदमें मय सूद व बहर
--- फीस सही सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याची
--- को अदा करे।

बसमय मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह
डिगरी सन 2017



25.1.17

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी
पूगल बिकानेर
पूगल

मुद्दई	रुपया	न.प.	मुदायला	रुपया	न.प.
स्टाम्प अर्जी दावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी	शून्य	शून्य
स्टाम्प बाबत समन	शून्य	शून्य	महनताना वकील	शून्य	शून्य
महनताना वकील	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमीशनर	शून्य	शून्य
फीस कमीशनर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुकम नामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुकम नामा	शून्य	शून्य	मुत्फरिक	शून्य	शून्य
मिजान	शून्य	शून्य	मिजान	शून्य	शून्य

नोट - इस राज के फार्म पर कुल खर्चा इर दर फरीकैन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नहीं दन किया जावे।